

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

निर्मला देवी एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

1992 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.13116

में

2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.607

01 फरवरी 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या चकबंदी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निष्पादित बिक्री विलेख बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अंतर्गत शून्य हैं, विशेषकर जब चकों का निर्धारण बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत पहले ही किया जा चुका है?

हेडनोट्स

बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956—धारा 32—संपत्ति कानून—चकबंदी कार्यवाही—हस्तांतरण पर रोक—चकों का निर्धारण—संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार—कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र—दीवानी उपाय—अपीलकर्ताओं ने चकबंदी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निष्पादित बिक्री विलेखों को चुनौती दी, जिसमें अधिनियम, 1956 की धारा 5 का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया—जिला कलेक्टर ने धारा 32 के तहत आपत्ति को खारिज कर दिया; बिहार भूमि न्यायाधिकरण ने बिक्री को वैध माना, यह देखते हुए कि चकों का निर्धारण धारा 13 के तहत पहले ही किया जा चुका है—विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि की—अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 5 के तहत रोक

तब तक जारी रहती है जब तक धारा 26-ए के तहत औपचारिक समापन अधिसूचना जारी नहीं हो जाती।

न्याय दृष्टान्त

पन्ना देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2010 (2) पीएलजेआर 1066 (एफबी); राम राजी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2007(4) पीएलजेआर 449—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम, 1956

मुख्य शब्दों की सूची

समेकन कार्यवाही, समेकन कार्रवाई, बिक्री विलेख, अन्य संक्रामण पर रोक।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 13116/1992 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री बिनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता और सुश्री वागीषा प्रज्ञा वाचकनवी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए: कोई उपस्थित नहीं।

रिपोर्टर जिसके द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
1992 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.13116
में
2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.607

- =====
1. निर्मला देवी, पति- हरबंश, निवासी- गाँव और डाकघर- मथिला द्वारा, थाना- कोरांसरैया, जिला-बक्सर।
 2. शिवजी सिंह उर्फ श्योजी सिंह
 3. सत्य नारायण सिंह
 4. संजय कुमार सिंह, सभी, पिता- स्वर्गीय ददन सिंह और स्वर्गीय रामाला देवी
 5. रेणु देवी
 6. साधना देवी, दोनों, पिता- स्वर्गीय दादन सिंह और स्वर्गीय रामाला देवी, याचिकाकर्ता सं.2 से 6 निवासी- गाँव और डाकघर- कोपवा, थाना- कोरनसरैया, जिला-बक्सर, वर्तमान निवासी- गाँव-निरंजनपुर, डाकघर- दीवान के बरखा गाँव, थाना- कोरनसरैया, जिला-बक्सर।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. जिला समाहर्ता, भोजपुर।
4. नागेन्द्र सिंह, पिता- स्व. राम सुभाग सिंह
5. बिनोद कुमार सिंह
6. देशराज सिंह
7. हंसराज सिंह, सभी, पिता- स्व. रुदल सिंह
8. कौशिला देवी
9. बिबी देवी
10. पिकी देवी
11. रानी देवी, सभी, पिता- स्व. रुदल सिंह, सभी निवासी ग्राम - निरंजनपुर, थाना - कोरनसराय, जिला - बक्सर।
12. अनिल सिंह

13. कृष्णा सिंह
14. विनोद सिंह
15. बटेश्वर सिंह
16. श्रीमान सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह, सभी, पिता- नागेन्द्र सिंह एवं स्व. कुमरो देवी, सभी निवासी- ग्राम - निरंजनपुर, थाना - कोरन्सराय, जिला - बक्सर।
17. श्रीमती अतवारो देवी, पति - श्रीपति राम
18. सन्त बिलास सिंह, पिता - स्व. रामाधार सिंह, दोनों निवासी- ग्राम - निरंजनपुर, डाकघर - कोरन्सराय, जिला - बक्सर।
19. शंकर दयाल यादव, पिता - श्री श्री रंगीला यादव, निवासी ग्राम - पिपरी, थाना - कोरन्सराय, जिला - बक्सर।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री बिनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री वागीषा प्रज्ञा वाचकनवी, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : कोई उपस्थित नहीं।

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष कुमार
तथा
माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा
मौखिक निर्णय
(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष कुमार)

तारीख:01-02-2023

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री बिनोद कुमार सिंह को सुना गया।

जैसा कि पहले के आदेशों में उल्लेख किया गया है, उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है, हालांकि उन्हें नोटिस दिया गया है।

यहाँ अपीलकर्ता इंद्रासना कुएर के वंशज हैं, जो कुछ बिक्री-पत्रों के विक्रेता की सास हैं, जो चकबंदी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में निष्पादित किए गए थे। उन्होंने बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 32 के तहत जिला समाहर्ता से अनुरोध किया था कि प्रतिबंध के मद्देनजर अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी भी प्रकार के हस्तांतरण या अन्य संक्रामण पर ऐसे बिक्री-पत्रों को अमान्य घोषित किया जाए।

जिला समाहर्ता आपत्तिकर्ता के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए और बिहार भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए बाध्य हुए।

न्यायाधिकरण के समक्ष, एक संपत्ति की बिक्री के संबंध में मुद्दा उठाया गया था, जो समेकन संचालन के तहत था, लेकिन न्यायाधिकरण ने पाया कि बिक्री-विलेख केवल चकों के निर्धारित होने और अधिनियम की धारा 13 के तहत सिद्धांतों को घोषित करने के बाद ही निष्पादित किया गया था।

सटीक रूप से इस कारण से, न्यायाधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

समान आधारों पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

श्री बिनोद कुमार सिंह ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय *पन्ना देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2010(2) पीएलजेआर 1066 (एफ.बी.)* में, यह निर्णायक रूप से माना गया है कि बार उस अवधि के लिए कार्य करता है जिस अवधि के दौरान समेकन कार्यवाही लंबित है और यह सभी पक्षों को बाध्य करता है।

कानून के इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में पूर्ण पीठ का गठन इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा *राम राजी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2007(4) पीएलजेआर 449* में दिए गए निर्णय में एक स्पष्ट त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि संचालन की अवधि के दौरान किया गया लेन-देन, जहाँ तक समेकन कार्यवाही का संबंध है, शून्य होगा और लेन-देन के पक्षों के बीच नहीं होगा।

चूँकि यह निर्णय की सामान्य प्रक्रिया के विपरीत था, इसलिए इस मुद्दे का निर्धारण एक वृहद पीठ द्वारा किया जाना आवश्यक था। ऊपर उल्लिखित पूर्ण पीठ ने राम राजी शर्मा (उपरोक्त) मामले में दिए गए प्रस्ताव को सही नहीं पाया और इसलिए यह निर्णायक रूप से माना गया कि ऐसा कोई भी लेन-देन न केवल समेकन कार्यवाही को नियंत्रित करेगा, बल्कि लेन-देन के पक्षकारों को भी बाध्य करेगा।

हमने देखा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने *कमला देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1998(3) अखिल पीएलआर 142* पर भरोसा किया, जहाँ संपत्ति के संवैधानिक अधिकार के मूल सिद्धांत और बिहार राज्य की सामान्य प्रथा को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 26-क के तहत चकों का निर्धारण होने पर भी, चकबंदी कार्यों को बंद करने की अधिसूचना जारी नहीं करने की प्रथा को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि किसी संपत्ति के मालिक को इतने लंबे समय तक उसे बेचने से रोकना, संपत्ति का आनंद लेने के उसके अधिकार पर एक अनावश्यक अंकुश होगा। केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 26-क के तहत एक औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इससे मालिक के अपनी संपत्ति को विभिन्न तरीकों से अलग करने के अधिकार पर कोई बाधा नहीं आएगी।

इसको संपत्ति के उपभोग के अधिकार पर अनावश्यक प्रतिबंध मानते हुए और यह अधिकार केवल चकबंदी कार्यवाही की सुविधा के लिए परिबद्ध है, यह निर्णायक रूप से माना गया कि यदि चक और उसके पीछे के सिद्धांत को अधिनियम की धारा 13 के तहत

घोषित किया जाता है, तो समाहर्ता की अनुमति के बिना संपत्ति के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिससे जिले के समाहर्ता को अधिनियम की धारा 32 के तहत शून्यता का कोई आदेश पारित करने में कोई बाधा न आए।

यह माना गया कि उस चरण से आगे प्रतिबंध का विस्तार अधिनियम के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और, इसलिए, यह नागरिक के अधिकार पर एक मनमाना प्रतिबंध होगा।

हम उपर्युक्त सिद्धांत का समर्थन करते हैं और पाते हैं कि न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

इस स्तर पर, श्री बिनोद कुमार सिंह ने तर्क दिया कि आश्चर्यजनक रूप से, चकों को चकबंदी प्रक्रिया में आपत्तिकर्ता अर्थात् विक्रेता की सास स्वर्गीय सुश्री इंद्रासन कुएर के पक्ष में निर्धारित किए गए।

यदि ऐसा है, तो विक्रेता को कोई मालिकाना हक नहीं मिलेगा और यदि अपीलकर्ता किसी भी तरह से असंतुष्ट हैं, तो वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई दोष न पाते हुए, हम इस अपील को खारिज करते हैं, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(सत्यव्रत वर्मा, न्यायमूर्ति)

कुंदन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।